



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण) प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 119]

भोपाल, बुधवार, दिनांक 19 अप्रैल 2023—चैत्र 29, शक 1945

पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 19 अप्रैल 2023

क्र. एफ-4-4-2013-चौबन-2.—वक्फ बोर्ड अधिनियम, 1995 (संशोधित-2013) की धारा 13(1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, अधिनियम की धारा 14 में उल्लेखित प्रावधान अनुसार सदस्यों का निर्वाचन एवं नामांकन उपरांत राज्य शासन एतद्वारा वक्फ बोर्ड का निम्नानुसार गठन करता है :—

- | | |
|---|---------|
| 1. श्रीमती नजमा हेपतुल्ला, पूर्व संसद सदस्य
राज्यसभा, 16, तीन मूर्तिलेन, नई दिल्ली. | — सदस्य |
| 2. श्री आरिफ अकील,
विधायक भोपाल (उत्तर), 54, लक्ष्मी टाकीज
रोड के पास, जुमेराती, भोपाल-462001 | — सदस्य |
| 3. श्री अहदउल्लाह उस्मानी,
एडवोकेट, 693, बड़ी ओमती चौक,
मेन रोड, जबलपुर-482002 | — सदस्य |
| 4. श्री फैजान खाँ आत्मज अ. रज्जाक खाँ,
20, हरिफाटक महाकाल रोड, उज्जैन. | — सदस्य |
| 5. डॉ. सनवर पटेल,
15/2, खुदीराम बोस मार्ग, उज्जैन. | — सदस्य |
| 6. सुश्री फातेमा चौधरी पिता अहमद अली बोहरा,
स्कीम नं. 102, माणिकबाग रोड, हलीमा पैलेस,
फलैट नं. 301, इन्दौर. | — सदस्य |
| 7. डॉ. इनाऊर रहमान,
सी. एच. डी. 638-सुखलिया, इन्दौर. | — सदस्य |

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

एन. पी. नामदेव, उपसचिव.